परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों की कार्यप्रणाली

परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

1 सामान्य

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ चलाने के लिए की गई हैं तथा ये राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते है। 31 मार्च 2020 तक हिमाचल प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते है। इनमें 25 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) एवं चार विद्युत क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से, 19 सरकारी कंपनियां, दो[1] सांविधिक निगम एवं चार[2] सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां हैं। 19 में से दो[3] कंपनियों व चार में से एक सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी[4] अकार्यशील है। राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) में से तीन[5] सरकारी कंपनियां हैं, व एक[6] सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी है। वर्ष 2019-20 में दो[7] नए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) निगमित हुए। राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य परिणाम **परिशिष्ट-I** में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 31 मार्च 2020 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के आधार पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन को समाविष्ट किया गया है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रकृति एवं प्रस्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं।

---

1 *हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम और हिमाचल पथ परिवहन निगम।*

2 *धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड और हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (निष्क्रिय कंपनी)।*

3 *एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड।*

4 *हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।*

5 *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।*

6 *हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।*

7 *श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड और रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड।*

तालिका-1: प्रतिवेदन में सम्मिलित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रकृति

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	अक्तूबर 2019 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि के दौरान प्राप्त लेखों की संख्या						31 दिसम्बर 2020 तक कुल बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या
		लेखा 2019-20	लेखा 2018-19	लेखा 2017-18	लेखा 2016-17	लेखा 2015-16	कुल	
सरकारी कम्पनियाँ	22	-	7	2	1	1	11	22(52)
साविधिक निगम	2	-	1	-	-	-	1	2(3)
सरकार के नियंत्राधीन अन्य कम्पनिया	4	-	2	1	-	-	3	4(7)
कुल कार्यशील उद्यम	**28**	**-**	**10**	**3**	**1**	**1**	**15**	**28 (62)**

स्रोत: *कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश में प्राप्त वार्षिक वित्तीय विवरणों से संकलित। हिमाचल प्रदेश वस्टेड मिल्स लिमिटेड पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह परिसमापन के अधीन है।*

सभी राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (29) ने ₹270.79 करोड़ की समेकित हानि उठाई, जैसा कि **परिशिष्ट-1** में वर्णित है। हालांकि, 13 उद्यमों ने 31 दिसंबर 2020 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार ₹45.73 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा नौ उद्यमों ने ₹316.52 करोड़ का घाटा उठाया। शेष सात उद्यमों में से तीन[8] ने अपना पहला लेखा तैयार नहीं किया, ब्यास वैली पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं किया तथा तीन[9] के लिए आय से अधिक व्यय राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य था।

2 लेखादायित्व की रूपरेखा

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013) की धारा 139 व 143 में सरकार की लेखापरीक्षा हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार सरकारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी का अंश निवेशित किया गया हो तथा इसमें ऐसी कंपनी भी शामिल हो, जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) व (7) के तहत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक सरकारी कंपनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी से सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनियां सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी

8 *श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड, रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड और शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड।*

9 *शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड और धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड।*

के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(7) साथ में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षकों वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के पंजीयन की तिथि से 60 दिन के भीतर नियुक्त किया जाना है तथा यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक यदि चाहें तो धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनियों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते हैं तथा ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उन्हें सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित अथवा उनके स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी या अन्य किसी कंपनी की लेखापरीक्षा संचालित कर सकता है।

3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 139 (5) या (7) के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कंपनी की अन्य सूचनाओं के साथ उसके वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करता है। अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित कर सकता है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। दो सांविधिक निगमों[10] में से हिमाचल सड़क परिवहन निगम के लिए भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक, एकमात्र लेखापरीक्षक है तथा हिमाचल प्रदेश के वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टेड

[10] *हिमाचल पथ परिवहन निगम और हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम।*

अकाउंटेंट द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

4 सांविधिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

4(i) समय पर अंतिम रूप देने तथा लेखों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 व 395 के अनुसार एक सरकारी कंपनी के कार्यचालन एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीने के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होते ही शीघ्रातिशीघ्र उस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई टिप्पणी या अनुपूरक के साथ विधायिका अथवा विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाए। संबंधित अधिनियमों में सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लगभग एक समान प्रावधान विद्यमान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि में से कंपनियों में निवेशित सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 की अनुसार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करना अपेक्षित है। शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक पिछली/आखिरी/पिछले शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक के 15 महीने के भीतर आयोजित की जाती है।

इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार उक्त वार्षिक आम बैठक में संबंधित वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) में प्रावधान है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के प्रावधानो की गैर-अनुपालना हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों पर जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल हैं, कारावास एवं अर्थदंड जैसी शास्ति लगाई जाए।

4(ii) सरकार तथा विधानमंडल की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो के मामलों पर नियंत्रण रखती है। सरकार द्वारा अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड के निदेशक नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमण्डल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए गए सरकारी निवेश के उपयोग एवं लेखांकन की निगरानी करता है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 अथवा जैसा सम्बन्धित अधिनियमों में निर्धारित हो, के तहत राज्य की सरकारी कम्पनियों के मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सांविधिक नियमों के सम्बन्ध में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका के समक्ष रखे जाए। भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को भारत के नियंत्रक-

महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाता हैं।

5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश

हिमाचल प्रदेश सरकार का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बहुत अधिक वित्तीय अंश निहित है। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं:

- **शेयर पूंजी एवं ऋण** - शेयर पूंजी योगदान देने के अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार समय-समय पर राज्य से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** - हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान एवं सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **गारंटी** - हिमाचल प्रदेश सरकार वित्तीय संस्थानों से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लिए गए ऋणों की ब्याज सहित चुकाने की गारंटी भी देती है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सभी सरकारी कंपनियों/सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के नाम, निगमन का माह व वर्ष, उनका प्रशासनिक विभाग तथा उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-II** में दिया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गये कुल निवेश का उद्यमों-वार सारांश **परिशिष्ट-III** में वर्णित है तथा 31 मार्च 2020 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे **तालिका-2** में दिया गया है:

तालिका-2: हिमाचल प्रदेश सरकार की राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनिया	सांविधिक निगम	कुल	निवेश		
				इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
विद्युत	4	0	4	1,890.59	6,961.18	8,851.77
वित्त	3	1	4	134.05	81.78	215.83
सेवा	10	1	11	872.42	0.30	872.72
अवसंरचना	4	0	4	55.83	0.00	55.83
अन्य	6	0	6	83.59	138.25	221.84
कुल	**27**	**2**	**29**	**3,036.48**	**7,181.51**	**10,217.99**

स्रोत: *सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।*

31 मार्च 2020 तक सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत् क्षेत्र पर था। विद्युत् क्षेत्र को कुल निवेश ₹10,217.99 करोड़ में से ₹8,851.77 करोड़ (86.63 प्रतिशत) का सरकारी निवेश प्राप्त हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-III** में दिया गया है। तथापि, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के संसाधनों के अलावा अन्य संसाधनों से विभिन्न क्षेत्र में निवेश सहित कुल निवेश नीचे **चार्ट-I** में दिखाया गया है:

चार्ट 1: 31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्रवार निवेश

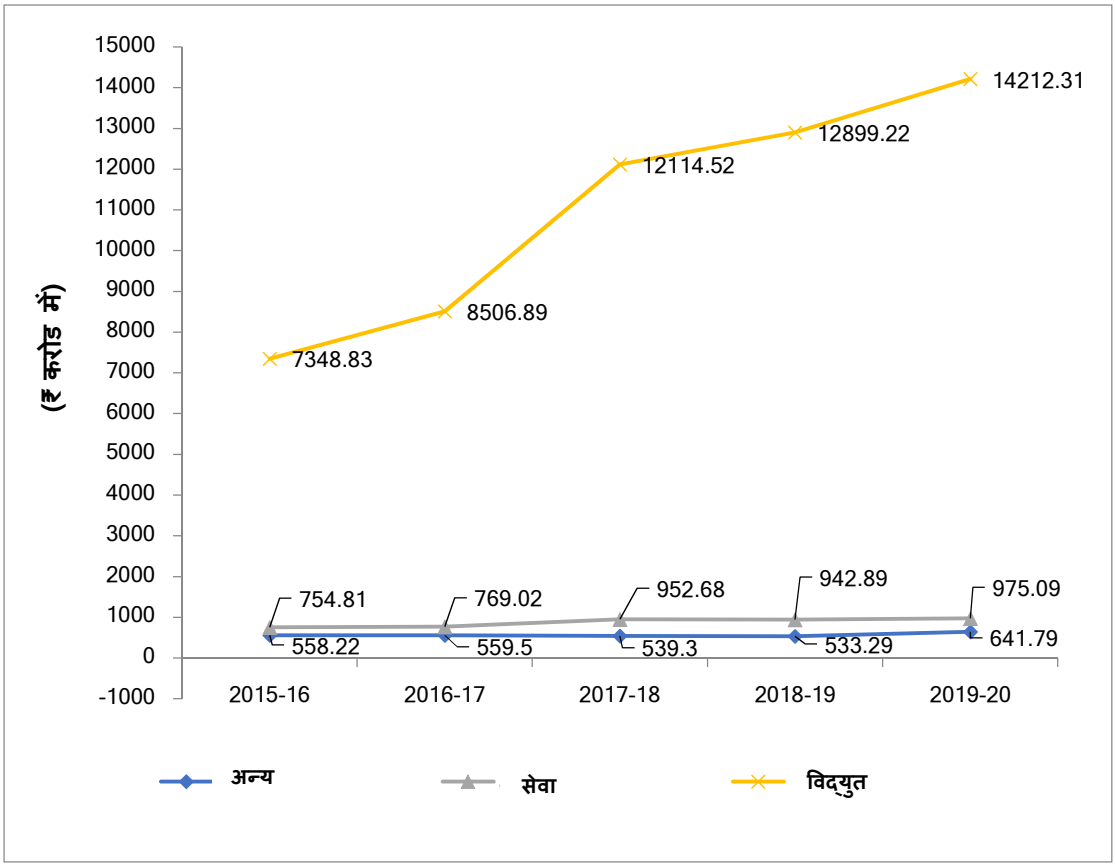

विद्युत क्षेत्र में निवेश के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए, हम अध्याय-I में राज्य के विद्युत क्षेत्र के चार उद्यमों का शब्दचित्रण प्रस्तुत कर रहे है।

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय है:

अध्याय-I: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय प्रदर्शन

अध्याय-II: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय प्रदर्शन

अध्याय-III: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका

अध्याय-IV: निगम की शासन प्रणाली

अध्याय-V: नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व

अध्याय-VI: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भारतीय लेखा मानकों (चरण I एवं II के तहत) के कार्यान्वयन का प्रभाव।